[illegible]

[illegible] निम्नानुसार [illegible] है–

1. [illegible] रकबा 0.40 है0 पर पहुँच का कोई वैकल्पिक रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।
2. यह है कि [illegible] की भूमि पर जाने के लिये वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से **रास्ते की बहुत आवश्यकता है।** खातेदारी भूमि ख.नं. 1132 पर पहुंचने के लिये ग्राम भगवतगढ के ख0नं0 1059 गै0मु0 रास्ता से ख.नं. 1133 की **उत्तरी मेड़ के सहारे लघुत्तम दूरी है।**
3. यह है कि ग्राम भगवतगढ़ के खातेदार पारसचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति पूर्विया की खातेदारी भूमि ख0नं0 1133 की उत्तरी मेड़ से ख.नं. 1132 में जाने के लिए 12 फुट चौड़ा रास्ता अर्थात 3.65 मीटर चौड़ा व 48 मीटर लम्बा रास्ते का कुल रकबा 0.0175 है0 बनता है। ग्राम भगवतगढ की डीएलसी दर 829534 रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 14517 रूपये की दुगुनी राशि 29034/– रूपये बनती है।

अतः उक्तानुसार रास्ता दिये जाने की अभिशंषा के साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा का अवलोकन व मनन किया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड उपरोक्त खसरा नंबर पर पहुंच का कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। **रास्ता या पहुँच मार्ग एक आवश्यक सुखाधिकार है, किसी भी भूमि पर पहुँच हेतु रास्ता होना आवश्यक होता है।** एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत किसी भी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि तक पहुँच मार्ग दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1132 वाके ग्राम भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा पर आने–जाने हेतु इससे लगता हुआ ख0नं0 1133 की उत्तरी मेड़ के सहारे 48 मीटर लम्बा एवं 3.65 मीटर चौड़ा व रास्ते का [illegible] अर्थात कुल 175 वर्ग मीटर की डी.एल[illegible] 829534 रूपये प्रति है0 [illegible] की दुगुनी राशि 29034 [illegible] राशि अ[illegible] खातेदार को उनके हि[illegible] जाकर खसरा नंबर 113[illegible] 3.65 मीटर चौड़ा तथा 48 मीटर लम्बाई का कुल 175 वर्गमीटर, भूमि को नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2022.04.19 17:54:31 IST
Reason: SelfAttested